श्रीमान जी,

प्रार्थना पत्र पत्रावली मय नक्शा पेश है।

1. क्षेत्राधिकार मे है।
2. कोर्ट फीस चस्पा है।
3. सूची अनुसार दस्तावेजात पूर्ण है लेकिन जमाबन्दी प्रमाणित नही है। कम्प्यूटराईज पेश है।
4. तलबाना संलग्न है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ सादर प्रेषित है।

30/7/18

SDOSb

नोटिस जारी हो

30/7/18

30/7/18 प्रार्थी मय वकील उप0। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की किया जावे। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया जावे आयन्दा पत्रावली दिनांक 6/8/18 को पेश हो।

6/8/18 प्रार्थी अभिभाषक उप0। [illegible] उप0। वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 20.8.18 को पेश हो।

TDR, Kotkasim
मौके पर [illegible] नहीं

20/8/18 प्रार्थी अभिभाषक उप0। बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से संधारित किया। [illegible] किया जावे। पत्रावली फैसला अनुसार [illegible] बाद तकमील [illegible] दाखिल दफ्तर हो।

[illegible]

(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री औमप्रकाश शर्मा आ0ए0एस0

मु.सं.	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
54 / 18	30.07.2018	20/08/2018

अनुवान

1. प्रताप
2. श्योनारायण पुत्रांन श्योचन्द जाति जाटान ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदर कोटकासिम जिला अलवर राज0

–अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128

राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री गिरधारीलाल शर्मा अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम

प्रार्थी ने मय अभिभाषक इस न्यायालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र इस काशय का पेश किया कि आराजी हाल ख0न0 143/1–10 बीघा वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिस पर मिन प्रार्थीगण काबिज व दाखिल होकर काश्त करते चले आरहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। मिन प्रार्थीगणों ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश करावाने के लिए विधिवत रूप से चालान फीस जमा कराकर विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 14.07.2018 को श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश की पालना में हल्का पटवारी से करवाई गई है। नकल मौका पर्चा संलग्न है। मिन प्रार्थीगणों ने दिनांक 26.07.2018 को अप्रार्थी से उक्त मौका पर्चा दिनांक 14.07.2018 के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने अदालत के आदेश लाने को कहा। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विवादित आराजी की मुताबिक मौका पर्चा दिनांक 14.07.2018 के पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम ने आदेशिका में अंकित किया की मौके पर पैमाईश हो चुकी है। कब्जे का काई विवाद नही है।

उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

विद्वांन अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई । विद्वांन अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया और कहा कि विवादित आराजी हाल ख0न0 143/1–10 बीघा वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिस पर मिन प्रार्थीगण काबिज व दाखिंल होकर काश्त करते चले आरहे है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो रहा है। मिन प्रार्थीगणों ने अपनी विवादित आराजी की पैमाईश करावाने के लिए विधिवत रूप से चालान फीस जमा कराकर विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 14.07.2018 को श्रीमान तहसीलदार कोटकासिम के आदेश की पालना में हल्का पटवारी से करवाई गई है। नकल मौका पर्चा संलग्न है। मिन प्रार्थीगणों ने दिनांक 26.07.2018 को अप्रार्थी से उक्त मौका पर्चा दिनांक 14.07.2018 के अनुसार विवादित आराजी की पत्थरगढ़ी करने हेतु निवेदन किया तो उन्होंने अदालत के आदेश लाने को कहा। इसलिए प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है। इसलिए श्रीमानजी से निवेदन है कि मुताबिक मौका रिपोर्ट पत्थरगढ़ी कराई जावे।

विद्वांन अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रांवली एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। आदेशिका में पैरोकार सरकार तहसीलदार कोटकासिम ने अंकित किया की मौके पर पैमाईश हो चुकी है। कब्जे का काई विवाद नही है। प्रार्थी अधिवक्ता ने भी अपने प्रार्थना पत्र में भी अंकित किया है कि अप्रार्थी से पत्थरगढ़ी करने को कहा तो उन्होने कहा पत्थरगढ़ी का आदेश लेकर आओं । विवादित आराजी की पैमाईश दिनांक 14.07.2018 को की जा चुकी है। इसलिए पत्थरगढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते है कि अगर मौके पर कब्जा संबन्धि कोई विवाद ना हो तो मुताबिक पैमाईश विवादित आराजी ख0न0 143/1–10 बीघा वाके ग्राम माधोपुरी उर्फ मसवासी तहसील कोटकासिम जिला–अलवर की पत्थरगढ़ी कराई जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2018 को टंकित किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

20/08/18

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज0

Scanned by CamScanner